कार्यालय जिला परिषद्, अरवल।

अति अल्पकालीन निविदा

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–17(गो0) दिनांक 06.05.2021 के द्वारा 15वीं वित्त आयोग की Untied अनुदान मद की राशि से कोविड–19 के आपदा प्रबंधन एवं अस्पतालों में आधारभूत ढांचा की वृद्धि हेतु उपयोग करने के निदेश के आलोक में चिकित्सा से संबंधित सामग्री एवं उपकरण के क्रय/अधिष्ठापन हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार अधिकृत उत्पादकों/विक्रेताओं व आपूर्तिकर्ताओं से मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 01.06.2021 के अपराह्न 02:00 बजे तक कार्यालय जिला परिषद्, अरवल में प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन उप विकास आयुक्त, अरवल के कार्यालय कक्ष में 04:00 बजे अपराह्न जिला निविदा/क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

List of Items:

Medical Equipments

Sl.No.	Name of Items	Quantity
01	Oxygen Concentrator 10L	20
02	Oxygen Face Mask Rebreather	100
03	Oxygen Face Mask	100
04	Pulse Oxymeter	100
05	Installation of Centralized Oxygen System	100 (Beds)

➢ तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. तकनीकी निविदा के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है,:–
   - (i) अग्रधन के रूप में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, अरवल के पदनाम से निर्गत 50000/–(पचास हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट।
   - (ii) निविदादाता अधिकृत उत्पादक/एजेंसी व आपूर्तिकर्ता को संस्था का परिचय, फर्म का नाम, कार्यालय का पूर्ण पता, पिन कोड देना अनिवार्य होगा।
   - (iii) निविदादाता को GST से निबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि तथा 03 (तीन) वर्षो का GST रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (iv) निविदादाता को लगातार विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की प्रति एवं पैन कार्ड नम्बर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (v) निविदादाता का टर्न ओवर पिछले वित्तीय वर्ष में 10 (दस) लाख रूपये का होना अनिवार्य है। (सत्यापन के लिए चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिटेड प्रॉफिट एण्ड लॉस तथा बैलेन्स शीट संलग्न करें)
   - (vi) संस्था का किसी फौजदारी अथवा दीवानी मामले में मुकदमा लंबित नहीं होने एवं किसी सरकारी/निजी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं रखने का शपथ पत्र।

➢ वित्तीय निविदा की शर्तेः–

2. वित्तीय निविदा निम्न प्रकार से विहित–प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा का प्रपत्र

क्र. सं.	सामग्री का नाम	कम्पनी/मॉडल का नाम	सामग्री की विशिष्टियां	मात्रा	दर	कुल राशि (सभी कर सहित)

➢ अन्य शर्तेः–

3. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शील्ड/मुहर बंद लिफाफे में ही स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. तकनीकी निविदा शर्त अनुरूप मान्य होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताये निविदा स्थगित/रद्द करने का अधिकार या एक से अधिक निविदादाताओं को आपूर्ति आदेश वितरित करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. निविदादाता एकल या संपूर्ण उपकरणों के लिए निविदा में भाग ले सकता है।
7. चयनित एजेंसी को संबंधित सामग्री को कार्यालय जिला परिषद्, अरवल तक पहुँचाना होगा एवं सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाईप का अधिष्ठापन सदर अस्पताल, अरवल में होगा। जिसके लिए अलग से कोई परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
8. निविदा प्रारूप में उल्लिखित मात्रा प्रकृति में सांकेतिक है और दर स्वीकृति के पश्चात बढ़ाई/घटाई जा सकती है। जिला परिषद् आवश्यकतानुसार स्वीकृत निर्धारित दर पर किसी भी प्रतिष्ठान से सामग्री क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।
9. सफल निविदादाता जिला प्रशासन, अरवल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आदेश देने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर सभी सामग्रियों/उपकरणों की आपूर्ति करने की स्थिति में होगा। समय–सीमा के अंदर एवं निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म/प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज करते हुये जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. उपरोक्त उपकरण मदों की तकनीकी मानकों एवं विशिष्टियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
11. चयनित एजेंन्सी को सामग्रियों के आपूर्ति की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् प्राप्त आवंटन के विरूद्ध नियमानुकूल भुगतान किया जायेगा।
12. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के विपत्र पारित करते समय स्रोत पर नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
13. क्रय/अधिष्ठापित किये गये उपकरण एवं चिकित्सा सुविधाओं की वारंटी/गारंटी अवधि में आवश्यकतानुसार निःशुल्क मरम्मति करनी होगी।
14. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अरवल होगा।
15. निविदादाता स्वंय या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।
16. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा।
17. यह निविदा दर निर्धारण की तिथि से पूरे एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

20/5/21

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, अरवल।